भारत सरकार
आयुष मंत्रालय

लोक सभा
तारांकित प्रश्न सं. 107*
06 फरवरी, 2026 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

आयुष आधारित स्वास्थ्य सुविधाएं

*107. श्री सुधाकर सिंह:

क्या आयुष मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बिहार के बक्सर, कैमूर और रोहतास जिलों में उच्च जनसंख्या घनत्व होने तथा पारंपरिक चिकित्सा सेवाओं की कमी के कारण स्थानीय लोगों को आयुष आधारित स्वास्थ्य सुविधाओं से वंचित किया जा रहा है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या सरकार को उक्त जिलों में 50 बिस्तरों वाले आयुष अस्पताल की स्थापना के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है अथवा ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन है;
(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त प्रस्ताव की वर्तमान स्थिति, अनुमोदन प्रक्रिया और उक्त अस्पतालों की स्थापना के लिए संभावित समय-सीमा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;
(घ) क्या सरकार का विचार उक्त जिलों के सामाजिक-भौगोलिक महत्व और जनसांख्यिकीय आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए भविष्य में इस दिशा में कोई कदम उठाने का है; और
(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

आयुष मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री प्रतापराव जाधव)

(क) से (ङ): विवरण सदन के पटल पर रखा गया है।

लोक सभा में 06 फरवरी, 2026 को पूछे गए तारांकित प्रश्न संख्या 107* के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क) से (ङ): जन स्वास्थ्य राज्य का विषय होने के कारण, बिहार के बक्सर, कैमूर और रोहतास जिलों में आयुष आधारित स्वास्थ्य सुविधाओं और पारंपरिक चिकित्सा सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने की प्राथमिक जिम्मेदारी संबंधित राज्य सरकार के कार्यक्षेत्र में आती है। हालांकि, राष्ट्रीय आयुष मिशन (एनएएम) की केंद्रीय प्रायोजित योजना के तहत, देश के विभिन्न हिस्सों में 50/30/10 बिस्तरों वाले एकीकृत आयुष अस्पतालों (आईएएच) की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता का प्रावधान है। एनएएम दिशानिर्देशों के अनुसार, आईएएच की स्थापना सहित विभिन्न गतिविधियों का वित्तपोषण राज्य वार्षिक कार्य योजनाओं (एसएएपी) के माध्यम से प्राप्त प्रस्तावों पर अंतर भरने के आधार पर आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए किया जाता है।

बिहार सहित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को समय-समय पर जिलों में ऐसे उपयुक्त स्थान का चयन करके आईएएच की स्थापना का प्रस्ताव करने के लिए प्रोत्साहित किया गया है, जहां पर्याप्त कनेक्टिविटी उपलब्ध हो, ताकि यह आयुष औषधालयों, आयुष्मान आरोग्य मंदिर (आयुष), प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों आदि के लिए रेफरल अस्पतालों के रूप में कार्य कर सके। तदनुसार, एनएएम दिशानिर्देशों के प्रावधानों के अनुसार, राज्य सरकार एसएएपी के माध्यम से उपयुक्त प्रस्ताव प्रस्तुत करके वित्तीय सहायता प्राप्त कर सकती है, जिसमें विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर), भूमि स्वामित्व अधिकार और प्रस्तावित अस्पताल के लिए चिह्नित पदों पर नियमित पदों के सृजन की प्रतिबद्धता शामिल है। यह केंद्र सरकार की योजनाबद्ध सहायता से परे अस्पताल के दीर्घकालिक संचालन के लिए राज्य सरकार को सुविधा प्रदान करेगा।

इसके अलावा, वर्ष 2024-25 के दौरान, बिहार राज्य सरकार ने विभिन्न स्थानों पर 50 बिस्तरों वाले आईएएच की 10 इकाइयां स्थापित करने के प्रस्ताव प्रस्तुत किए हैं। मिशन निदेशालय की बैठक के दौरान, बिहार राज्य सरकार ने सूचित किया है कि गोपालगंज, मोतिहारी, दरभंगा, मधुबनी, गया और सीवान में 50 बिस्तरों वाले आईएएच की 6 इकाइयों के लिए भूमि उपलब्ध है। तदनुसार, आयुष मंत्रालय ने इन प्रस्तावों को अनुमोदित किया था, जहां भूमि उपलब्ध थी। हालांकि, आईएएच की स्थापना के लिए रोहतास जिले सहित अन्य प्रस्तावों को भूमि की अनुपलब्धता के कारण मंजूरी नहीं दी जा सकी। इसके अलावा, व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय के दिशानिर्देशों में निर्धारित पूर्व शर्तों का अनुपालन न करने के कारण वर्ष 2024-25 के दौरान बिहार राज्य सरकार को कोई धनराशि जारी नहीं की गई।

इसके अतिरिक्त, वर्ष 2025-26 के दौरान, बिहार राज्य सरकार ने एसएएपी के माध्यम से बेगूसराय, गोपालगंज, मोतिहारी, दरभंगा, मधुबनी, गया और सीवान में 50 बिस्तरों वाले आईएएच की 07 इकाइयों के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। मिशन निदेशालय की बैठक में, बिहार राज्य सरकार ने सूचित किया है कि आईएएच की प्रस्तावित 07 इकाइयों के लिए मॉडल

डीपीआर और भूमि उपलब्ध है। तदनुसार, आयुष मंत्रालय ने इसे 300.00 लाख रुपये प्रति इकाई की दर से मंजूरी दी है। एसएएपी के अनुमोदन के आधार पर, बिहार राज्य सरकार के लिए आधिकारिक संस्वीकृति जारी की गई है।
